प्रेस नोट

दिनाँक 28.01.2021

गल्ला व्यवसायी के कार चालक को गोली मारकर तीस लाख रुपये लूटने की सनसनीखेज घटना कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफ़ाश

लूट की राशि, असलहे कारतूस, स्कोर्पियो एवं मोटरसाईकिलों के साथ शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट की घटना का सफल अनावरण

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी0 महोदय के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी टहरौली श्री विवेक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.01.2021 को एस .जी.ओ.सर्विलान्स एवं थाना बरुआसागर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चार शातिर लुटेरों सहित अन्य चार सहयोगियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम तथा घटना में प्रयुक्त असलहे तथा वाहन बरामद किये गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

जनपद झांसी के थाना बरुआसागर क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुरा के पास विगत 16.01.21 को सायंकाल करीब 6:00 बजे झांसी के प्रतिष्ठित गल्ला व्यवसाई अतीत राय के चालक बाबूलाल कुशवाहा को दो बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मारकर होंडा सिटी कार से 30 लाख रुपयों की लूट की घटना कारित की गई| इस संबंध में श्री अतीत राय द्वारा थाना बरुआसागर में तहरीर देकर मु0अ0सं0 019/2021 धारा 394/408 IPCपंजीकृत कराया गया था| घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी टहरौली श्री विवेक सिंह के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम एवं बरुआसागर पुलिस को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में इस घटना को कार्य करने वाले सक्रिय लुटेरों की तलाश की जा रही थी | उपरोक्त घटना में घायल कार चालक के विरोधाभासी बयान तथा क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान प्राप्त तथ्यों से कार चालक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही थी| इसके दृष्टिगत कार चालक बाबूलाल कुशवाहा को केंद्र में रखते हुए घटना को कार्य करने वाले लुटेरों का पता लगाने के लिए एसओजी सर्विलान्स टीम एवं बरुआसागर पुलिस के द्वारा घटना के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जांच पड़ताल एवं पतारसी सुरागरसी की गई| घटनास्थल इस संबंध में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने पर घटना कारित करने वाले लुटेरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारीयां प्राप्त करके संदिग्ध उनकी गिरफ्तारी और लूट की राशि बरामद करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई| इसी क्रम में दिनांक 27.01.2021 को बरुआसागर क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना कार्य करने वाले गैंग के सक्रिय लुटेरे अंजनी माता मंदिर के निकट स्थित जंगल में चालक बाबूलाल कुशवाहा के साथ लूट के रुपयों को बांटने और मध्य प्रदेश की तरफ भाग जाने की फिराक में एकत्रित है| इस सूचना पर एसओजी टीम, सर्विलांस टीम एवं बरुआसागर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अंजनी माता मंदिर के निकट

मजार समाधि के पास से शातिर वाहन चालक बाबूलाल कुशवाहा सहित तीन अन्य लुटेरों को करीब 18:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना में लूटे गए रुपयों में से पच्चीस लाख रुपये नगद)2500000(-/, घटना में प्रयुक्त तीन अदद तमंचे, पांच अदद जिंदा कारतूस, एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है| गहराई से पूछताछ करने पर पकड़े गए अभियुक्तगण के द्वारा बताया गया कि हम लोगों में से बाबूलाल कुशवाहा झाँसी के एक गल्ला व्यवसायी अतीत राय के यहाँ ड्राइवरी करता है, और प्रायः उनका पेमेन्ट लाता ले जाता है। हम सभी लोगों को अपने अपने जरूरत के लिये रूपयों के लिए आवश्यकता थी, जितेंद्र उर्फ जीतू राय प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके लिए उसे रुपयों की अत्यधिक आवश्यकता थी| इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर लूट की घटना करने की योजना बनायी। तयशुदा योजना के मुताबिक दिनांक 16/01/2021 को बाबूलाल के मऊरानीपुर निकलते समय कचहरी के पास सभी लोग मिले और बाबूलाल होण्डा सिटी कार से मऊरानीपुर के लिए निकल गया और जितेन्द्र, पुष्पेन्द्र और अशोक इन्ही मोटर साइकिलों से बाबूलाल के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। बाबूलाल द्वारा मऊरानीपुर जाकर बृजेश शर्मा से एक बैग में 30 लाख रूपये लेकर कार की डिग्गी में रख लिये गये और वहाँ से निकल कर बरूआसागर निकल कर नोटघाट पुल के पास पहुँचा जहाँ पहले से मोटर साइकिल से इन्तजार कर रहे पुष्पेन्द्र व जितेन्द्र राय के मिलने पर पुष्पेन्द्र को अपनी होण्डा सिटी कार में बैठा लिया और जितेन्द्र मोटर साइकिल से पीछे पीछे लक्ष्मनपुरा तक आया। बाबूलाल ने कार को सड़क से पश्चिम कुछ दूरी पर सूनसान स्थान पर खडा कर लिया और कार की डिग्गी में से 30 लाख रूपयों से भरा बैग निकाल कर जितेन्द्र राय व पुष्पेन्द्र को पकडा दिया, जिसे जितेन्द्र ने पहले से ली हुई एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में भर कर रख लिया| इसके बाद बाबूलाल पुष्पेन्द्र के साथ बगल की पत्थर व जंगल झाँडी की आड में गया और अपने बाँये हाथ में पुष्पेन्द्र से तमन्चे से गोली मारने को कहा। पुष्पेन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिये तमन्चे से बाबूलाल के बाँये हाथ में गोली मार दी और उसके बाद पुष्पेन्द्र ने बाबूलाल से कार की चाबी और बाबूलाल का मोबाइल माँग कर ले लिया तथा वापस कार के पास आकर पुनः एक गोली कार में ड्राइवर साइड विन्डो के पास मार दी और जितेन्द्र के साथ मोटर साइकिल पर बैठ कर झाँसी की ओर भाग निकला। इसके बाद बाबूलाल कार के पास से चल कर लक्ष्मणपुरा बैरियर के पास आकर लेट गया। 30 लाख रूपया लेकर जितेन्द्र व पुष्पेन्द्र भाग गये और घायल बाबूलाल अस्पताल ले जाया गया। पहले से तय योजना के मुताबिक बाबूलाल के लौटने पर रूपयों का बटवारा किया जाना था, जिसमें बाबूलाल, पुष्पेन्द्र और जितेन्द्र में प्रत्येक को नौ लाख रूपये तथा अशोक बरार को तीन लाख रूपये मिलने की बात तय थी। चूँकि रक्सा क्षेत्र में कोटखेरा और आसपास के स्थानों पर पुलिस संदिग्ध लुटेरों की सरगरमी से तलाश कर रही थी इसीलिए आज सभी लोग यहाँ अन्जनी माता मन्दिर के निकट स्थित घने जंगल की तरफ पैसा बाँटने के लिए एकत्रित हुए थे, और बटवारा करके हम लोग जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाते। बाबूलाल ने बताया कि मैंने स्वयं को फसने से बचाने के लिए यह गलत बयान दिया था लेकिन मेरी इस बात पर मेरे मालिक अतीत राय और उनके पिता महेश राय को शक हो गया था और मैं जल्दी से अस्पताल से निकल कर अपने साथियों से अपने हिस्से का रूपया लेकर भागना चाहता था। पुष्पेन्द्र व जितेंद्र राय ने लूट की रकम में से कुछ रुपया अपने रिश्तेदारों और साथियों को दे दिया था| जिनकी निशानदेही पर दिगारा बाइपास पर खडी जीतू की स्कार्पियो में बैठे पुष्पेंद्र के मामा राकेश राय के कब्जे से पचास हजार मामी साधना राय के कब्जे से पचास हजार तथा रिश्तेदार सुमित्रा राय के कब्जे से एक लाख तथा रामकुमार उर्फ कल्लू राजपूत के कब्जे से पचास हजार रुपए इस प्रकार लूट के ढाई लाख रुपये)250000 (-/बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. पुष्पेन्द्र राय पुत्र स्व0 प्रभूदयाल राय निवासी कोटखेरा थाना रक्सा जिला झाँसी
2. जीतेन्द्र उर्फ जीतू राय पुत्र कैलाश चन्द्र राय निवासी कोटखेरा थाना रक्सा जिला झाँसी,
3. अशोक बरार पुत्र बच्ची बरार निवासी इमिलिया थाना रक्सा जिला झाँसी,
4. बाबू लाल कुशवाहा पुत्र राजाराम कुशवाहा निवासी कोटखेरा थाना रक्सा जिला झाँसी,
5. राकेश राय पुत्र धनीराम राय निवासी करारी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी,
6. रामकुमार उर्फ कल्लू राजपूत पुत्र मानसिंह निवासी रक्सा खाँच थाना रक्सा जिला झाँसी,
7. श्रीमती साधना राय पत्नी राकेश राय निवासी करारी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी,
8. श्रीमती सुमित्रा राय पत्नी स्व0 बृजमोहन राय निवासी शिवाजी नगर थाना नवाबाद जिला झाँसी

पकड़े गए अभियुक्तों में से जितेंद्र राय उर्फ जीतू तथा अशोक बरार का लूट ,गैंगेस्टर एक्ट जैसे गंभीर मुकदमों सहित लंबा आपराधिक इतिहास है| इनमें से अशोक बरार रक्सा थाने का प्रचलित दुराचारी भी है|

बरामदगी का विवरणः

1- लूट की राशि □ 2750000 नगद (सत्ताईस लाख पचास हजार नगद(
2- नाजायज तमंचे 315 बोर तीन अदद
3- नाजायज कारतूस 315 बोर 5 अदद
4- घटना में प्रयुक्त सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल एक अदद
5- घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल एक अदद
6- घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन एक अदद

उपरोक्त कार्यवाही में अभियुक्तगण के कब्जे से लूट की रकम, घटना में प्रयुक्त असलहे कारतूस एवं वाहनों को कब्जे में लेकर थाना बरुआसागर के मु0अ0सं0 019/2021 धारा 394/411/408/120(B) IPC तथा मु0अ0सं0 022/2021 धारा व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. निरी0 श्री संजय गुप्ता प्रभारी सर्विलान्स सेल जनपद झाँसी
2. निरी0 श्री आशीष मिश्र प्रभारी एसजनपद झाँसी .जी.ओ.
3. निरी0 श्री सुनील कुमार थाना प्रभारी बरुआसागर जनपद झाँसी
4. उ0नि0 श्री सुधीर पवार एसजनपद झाँसी .जी.ओ.,
5. उ श्री 0नि0महेशचन्द्र थाना बरुआसागर झाँसी,
6. उश्री विनोद कुमार 0नि0 थाना बरुआसागर झाँसी,

7- उश्री सुनील कुमार तिवारी 0नि0 थाना बरुआसागर झाँसी

8- हे0का0 दुर्गेश चौहान, सर्विलान्स सेल जनपद झाँसी

9- का0 मनोज कुमार, सर्विलान्स सेल जनपद झाँसी

10- हे0का0 शैलेन्द्र सिंह, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

11- हे0का0 योगेन्द्र सिंह चौहान, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

12- हे0का0 सतपाल सिंह, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

13- का0 पदम गोस्वामी, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

14- का0 चन्द्रशेखर, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

15- का0 प्रदीप सेंगर, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

16- का0 चालक रमेश त्रिवेदी, एसजनपद झाँसी .जी.ओ.

17- का ,सद्दाम हुसैन 638 0

18- का,राजेन्द्र कुमार 179 0

19- का ,अवधेश कुमार 832 0

20- म,शशिवाला 1985 0आ0

21- कम्प्यूटर आपरेटर अरविन्द सिंह

अनावरण करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी द्वारा 25,000 रु0/- की घोषणा की गयी है एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी महोदय को 50,000 रु0/- इनाम हेतु संस्तुति की गयी है।